

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 11.11.2023

18 ली0 अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 250 ग्राम नौसादर व 450 ग्राम यूरिया के साथ 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा मादक पदार्थों के उत्पादन एवं क्रय-विक्रय से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष कैम्पियरगंज के नेतृत्व में 30नि0 मधुरेश त्रिवेदी मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता सरोज पत्नी स्व0 कमलाकान्त निवासी इन्दरपुर थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को 18 ली0 अवैध कच्ची शराब व 250 ग्राम नौसादर व 450 ग्राम यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 755/2023 धारा 272 भा0द0सं0 व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

सरोज पत्नी स्व0 कमलाकान्त निवासी इन्दरपुर थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 755/2023 धारा 272 भा0द0सं0 व 60 आबकारी अधिनियम थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

18 ली0 अवैध कच्ची शराब व 250 ग्राम नौसादर व 450 ग्राम यूरिया

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

- 1.30नि0 मधुरेश त्रिवेदी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
- 2.का0 विवेक कुमार थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
- 3.का0 विकास वर्मा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
- 4.म0का0 निकिता देबी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
- 5.म0का0 रोशनी देबी थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर